संख्या-09/2018/142/38-6-18-01(पीएमएजीवाई)/2018

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-30 मार्च, 2018**

विषयः- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अनुदान सं0-83(एससीएसपी मद) में हुयी बजट व्यवस्था से उपलब्ध धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्रांक-261/कार्य0/पीएमएजीवाई/2018, दि0-21.03.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गैप फिलिंग हेतु आदेश सं0-16015/07/2015-सीसी, दि0-20.03.2018 द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों के चयतिन 50 नये ग्रामों में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-865.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएमएजीवाई योजना हेतु अनुदान सं0-83 में हुयी बजट व्यवस्था रू0-4000.00 लाख के सापेक्ष कुल रू0-865.00 लाख(रूपये आठ करोड पैंसठ लाख मात्र) को आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर योजना के संचालन हेतु निर्धारित खाते(भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, शाखा-लखनऊ) में जमा किया जाएगा। जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पीएमएजीवाई) की मार्ग निर्देशिका तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में भारत सरकार के पत्र सं0-16015/07/2015सीसी, दि0-20.03.2018 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-03.08.2017, वित्त(लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दि0-14.03.2018 एवं समाज कल्याण/बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-29 मार्च, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय निर्धारित मद व उसके कार्यों हेतु किया जाएगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(6)- आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-(के.100/रा.00)-24-वृहत निमार्ण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-425/दस-18, दि0-30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-09/2018/142(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 /वित्त(लेखा अनुभाग-1)
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-2/3/नियोजन अनुभाग-4
10-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in